

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रकोष्ठ

उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज,
लखनऊ - 226024

रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे अखिल भारतीय सिविल सेवा (आई0ए0एस0), राज्य सिविल सेवा (पी0सी0एस0), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे0ई0ई0), नीट, एन0डी0एस0/सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली एवं उत्साही विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन कोचिंग हेतु उत्कृष्ट स्तर की अध्ययन सामग्री तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑफलाइन/ऑनलाइन कक्षाएँ लिये जाने हेतु ख्याति प्राप्त पंजीकृत संस्थाओं/ विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों (Institutions/Individuals) से निम्नांकित शर्तों के अधीन रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है—

- 1— ऐसी संस्थाएँ जिनका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में (प्रारम्भिक, मुख्य व अंतिम रूप से सफल) अभ्यर्थियों के प्रतिशत उत्कृष्ट हो।
- 2— सिविल सेवा तथा राज्य सेवा परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष न्यूनतम 04 प्रतिशत सफल हुये हों।
- 3— जे0ई0ई0 व नीट में कुल पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष 08 प्रतिशत छात्र राजकीय संस्थानों में प्रवेश के लिये चयनित हुये हों।
- 4— संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860/कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व से पंजीकृत होनी चाहिए।
- 5— संस्था के पास सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा तथा जे0ई0ई0/नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री होनी चाहिए।
- 6— संस्थाओं/विषय विशेषज्ञों द्वारा जो अध्ययन सामग्री (पी0डी0एफ/वीडियो) उपलब्ध करायी जायें वे मौलिक होनी चाहिए अर्थात् उक्त अध्ययन सामग्री पर किसी संस्था/व्यक्ति/चैनल का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए।
- 7— संस्थाओं/विषय विशेषज्ञों द्वारा जो भी अध्ययन सामग्री मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रकोष्ठ, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को भुगतान के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी उस अध्ययन सामग्री की स्वामित्व का पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रकोष्ठ, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ होगा।
- 8— संस्थाओं/विषय विशेषज्ञों द्वारा जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध करयी जायेगी उसके लिये यथोचित भुगतान किया जायेगा। इसके लिये संस्थाएँ एक अथवा सभी परीक्षाओं हेतु अध्ययन सामग्री (पी0डी0एफ/वीडियो) हेतु दरें दी जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में समस्त भुगतान मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों/छात्रों से कोई भुगतान नहीं लिया जायेगा।
- 9— विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑफलाइन/ऑनलाइन कक्षाओं के लिये रू0 2000/- प्रति सत्र की दर से भुगतान किया जायेगा। एक सत्र 90 मिनट का होगा।
- 10— संस्थाओं/विषय विशेषज्ञों द्वारा जो भी अध्ययन सामग्री (पी0डी0एफ/वीडियो) उपलब्ध करायी जायेगी अथवा ऑफलाइन/ऑनलाइन कक्षाओं का जो वीडियो तैयार किया जायेगा वह मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु चयनित अभ्यर्थियों को इस हेतु विकसित ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- 11— संस्थाएँ/विषय विशेषज्ञ किसी एक प्रतियोगी परीक्षा अथवा एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के सम्बन्ध में रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्तुत कर सकती/सकते हैं।

इच्छुक संस्थायें/विषय विशेषज्ञ निम्नलिखित प्रारूप में अपना प्रस्ताव प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के अन्दर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रकोष्ठ, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, सेक्टर-डी, अलीगंज,, लखनऊ – 226024 को ई-मेल ati-up@nic.in पर प्रेषित करें।

S.No.	Particulars	To be filled by Institutions/Individuals			
1	Name of Institution/Individual				
2	Address/Phone No./E-mail/website				
3	Proprietor's/Director's Name (in case of Institution)				
4	Institution's/Individual's PAN/TAN				
5	GSTIN (In case of Institution)				
6	Institution's Success Rate for last 03 years	Exam.	%age	%age	%age
		IAS/PCS Pre			
		IAS/PCS Main			
		JEE Main			
		JEE Advance			
		NEET			
		NDA/CDS			
7	Brief description of last 03 years' experience				
8	Details of Study Material	Exam.	PDF/Video	Cost	
		Civil Services (IAS)			
		Civil Services (PCS)			
		JEE			
		NEET			
		NDA			
		CDS			
Others					
9	Any other information				

उक्त सूचना उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी (उपाम) के वेबसाइट www.upati.gov.in पर भी देखी/डाउनलोड की जा सकती है।